न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 129 / 2017

1 बनारसी देवी पत्नी प्रभाताराम जाति जाट निवासी टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मुंगाराम पुत्र चन्द्राराम।
2 सहीराम पुत्र कालु।
3 महिपाल पुत्र कालु।
4 श्रीचन्द पुत्र कालु।
5 महावीर पुत्र कालु।
6 सोनी देवी पत्नी कालु समस्त जाति जाट निवासीगण टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
7 बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उर्फ राजस्थान ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा गुढ़ागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 21.07.2017
पीठासीन अधिकारी शिवलाल जाट आर.ए.एस. बउनवानी
प्रकरण बनारसी देवी बनाम मुंगाराम आदि दावा बाबत
स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 377 / 2014।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं

उपस्थिति :

1. श्री मदनसिह गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संदीप सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

## –निर्णय–

दिनांकः-28-9-2

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 377/2014 में पारित निर्णय दिनांक 21.07.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने ग्राम टीटनवाड़ की भूमि खसरा नम्बर 1318 के सन्दर्भ में विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी की है। इससे व्यथित होकर वादी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा वर वक्त बहस सहमती प्रदान कर प्रकरण विचारण न्यायालय को पुन विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर रास्ते का प्रावधान रखते हुये निर्णय हेतु प्रति प्रेषित करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। उभयपक्ष की सहमती को दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार से पुन विभाजन प्रस्ताव तैयार करावें जिसमें रास्ते

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

का स्पष्ट प्रावधान हो इन प्रस्तावों पर उभयपक्ष को सुनकर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.10.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 28.9.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर